प्रेस नोट दिनांक 11.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद के सभी 399 कण्टेनमेण्ट जोन की सतत चेकिंग अभियान जारी, आम जन-मानस में फैलायी जा रही जागरूकता।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा" कोविड 19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान व कण्टेनमेण्ट जोन की चेकिंग के अभियान के अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु बनाये गये सभी 399 कन्टेनमेण्ट जोन की चेकिंग किया गया। श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा स्वयं मधुकरपुर गांव पहुँचकर कण्टेनमेण्ट जोन में निरीक्षण किया गया व आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। सतत चेकिंग अभियान के क्रम में अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही को रोका जा रहा है। लाऊड हेलर के माध्यम से आम जन-मानस को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिससे नोवेल कोरोना वायरस को हराया जा सके। कोविड - 19 से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की गई।

प्रेस नोट दिनांक 11.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर 01 वांछित अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा" अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री महेश सिह, थानाध्यक्ष किपलवस्तु के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 43/2021 धारा 304/323/504 भा0द0वि0 से संबंधित नामित अभियुक्त फ़ैज मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र मो. इद्रीश निवासी वर्डपुर न. 06 टोला रेहरा थाना किपलवस्तु सिद्धार्थनगर को आज दि.11.05.2021 समय 05:05 बजे मझौली सागर हनुमान मंदिर तिराहा से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह नेपाल राष्ट्र भागने की फ़िराक मे था। गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- फ़ैज मोहम्मद उर्फ़ छोटू पुत्र मो. इद्रीश सा. वर्डपुर न. 06 टोला रेहरा थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1-महेश सिह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु
- 2- उ.नि.किशोरी लाल
- 3- हे . का. नंदलाल
- 4- आरक्षी सलीम
- 5-आरक्षी हिमांशु सिह

प्रेस नोट- दिनांक 11/05/2021 जनपद सिद्धार्थनगर शराब तस्कर गिरफ्तार।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों" के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पांण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 11/05/2021 को थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्ता के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 45/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

हे0का0 सुरेश चंद्र गिरी हे0का0 रमाशंकर यादव म0का0 साधना मौर्या

प्रेस नोट - दिनांक 11.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर 240 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री सुरेशचन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सदर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में आज दिनांक 11.05.2021 को थाना लोटन पुलिस व एस0एस0बी0 की सयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त के पास से 240 शीशी नेपाली star brand की शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 57/2021 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राधेश्याम पुत्र भगवंत निवासी बड़हरा थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1. 240 शीशी अवैध नेपाली शराब star brand / फायर लेमन शराब । गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
- 1. उ.नि. राम अशोक यादव लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2. हेड कांस्टेबल सत्यपाल यादव लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

एस0एस0बी0 टीम का विवरण-

- 1. ASI शिवांग दोर्जे
- 2. HC मोहम्मद अबरार खा
- 3. C. लालू राम
- 4. C.मामरोज समटो

प्रेस नोट दिनांक 11-05-2021 थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर मृतक के परिजन/रिश्तेदारों द्वारा बिहार राज्य से आने में असमर्थता व्यक्त करने पर सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा हिन्दू रीति-रिवाज से कराया गया शव का अन्तिम संस्कार।

दिनांक 10/05/2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर अन्तर्गत काशीराम आवास कालोनी में मिले मृतक कुमार मनोज पुत्र बसन्त दास निवासी नरौलापुर पोस्ट दौलतपुर थाना खदावलपुर जनपद बेगूसराय राज्य बिहार हा0मु0 काशीराम आवास थाना व जनपद सिद्धार्थनगर का शव बरामद हुआ था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-112/2021 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद उनके परिजन/रिश्तेदारों ने राज्य बिहार से आने में असमर्थता व्यक्ति की थी। मृतक के 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता बसन्त दास जो कि बीमार है उनसे सम्पर्क कर उनको मौके पर लाया गया लेकिन व इस स्थिति में नही थे कि अपने पुत्र का दाह संस्कार कर सके जिसपर प्रभारी निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह थाना को0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर, उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ राय, उ0नि0 श्री सभाजीत मिश्रा, उ0नि0 श्री अजय सिहं, हे0का0 प्रो0 सूर्यभान सिहं, का0 विनय कुमार, का0 रिव गौड, का0 दीपक अग्निहोत्री, का0 दीपक गौड, का0 जितेन्द्र यादव द्वारा हिन्दू रीति रिवाज से जमुआर नाला पुल के पास सारे सामान की व्यवस्था करके अन्तिम संस्कार किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 11.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

इस क्रम में आज दिनांक 11-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 316 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 51,550/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई।

सराहनीय कार्य दिनांक 11-05-2021

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 11-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 639 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 193 वाहनों का चालान व 02 वाहनों को सीज कर ₹ 1,84,300/-शमन शुल्क वसूल किया गया।